<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण क :- 78 / 13</u> <u>संस्थापन दिनांक :- 01 / 03 / 13</u> फाईलिंग नं. 233504001262013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

...... <u>अभियोजन</u>

वि रू द्व

प्रदीप पिता सुभाष, उम्र 20 वर्ष निवासी मटन मार्केट के पीछे आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 17.07.2017 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा—25 (1—बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 01. 03.2013 को समय 08:00 बजे या उसके लगभग रेलवे पटरी के पास आमला में लोक स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के लोहे की धारदार तलवार जिसकी लंबाई 2 फिट 3 इंच, चौड़ाई 1 इंच 5 सेमी. को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।
- 2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 01.03. 2013 को थाना प्रभारी आर.के. दुबे को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति रेलवे पटरी के पास आमला में हाथ में धारदार तलवार लिये घूम रहा है। जिस पर वह हमराह स्टाफ के मौके पर पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे की धारदार तलवार लिये मिला जिसे उसने हमराह स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा तथा तलवार रखने बाबत कोई लायसेंस नहीं बताया जिस पर उसने मौके पर अभियुक्त से एक लोहे की तलवार जप्त कर जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 66 / 13 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में

अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 01.03.2013 को समय 08:00 बजे या उसके लगभग रेलवे पटरी के पास आमला में लोक स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के लोहे की धारदार तलवार जिसकी लंबाई 2 फिट 3 इंच, चौड़ाई 1 इंच 5 सेमी. को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?"

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

- 5 आर.के. दुबे (अ.सा.—2) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 01.03. 2013 को थाना आमला में टी.आई. के पद पर पदस्थ रहते हुए कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ एवं हमराह साक्षी के साथ रेलवे पटरी आमला पहुंचा जहां अभियुक्त हाथ में लोहे की तलवार लिए मिला जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया तथा अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे की तलवार जप्त कर (प्रदर्श प्री—1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री—2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 66/13 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री—4) लेख की थी। साक्षी ने आर्टिकल ए1 को वही तलवार होना बताया है जो उसने अभियुक्त से जप्त किया था।
- 6 संजू (अ.सा.—1) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफतारी से इंकार किया है। साक्षी ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री—1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री—2) पर उसके हस्ताक्षर होने से भी इनकार किया है। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुआ है।
- 7 प्रकरण के एक अन्य स्वतंत्र साक्षी अशोक को अदम पता घोषित किया गया है। प्रकरण में परीक्षित कराये गये स्वतंत्र साक्षी साक्षी संजू (अ.सा.—1)

ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर मात्र आर.के. दुबे (अ.सा.—2) की साक्ष्य उपलब्ध है। न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ऐ.आई.आर.1973 एससी 2783 के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी एक मात्र जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त पुलिस साक्षीगण की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

- आर.के. दुबे (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में मुखबिर से सूचना मिलने पर रेलवे पटरी के पास जाना एवं अभियुक्त से लोहे की धारदार तलवार गवाहों के समक्ष जप्त करना तथा अभियुक्त को गिरफ्तार करने के उपरांत थाने वापस आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि उसके द्वारा प्रकरण में रोजनामचा सान्हा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त साक्षी से औपचारिक स्वरूप के प्रश्न पूछे गये हैं। जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) में जप्ती का समय 08:00 बजे लेख है एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी-2) में गिरफ्तारी का समय 08:10 बजे लेख है। गिरफ़तारी पत्रक में गिरफ़तारी के समय पर ओव्हर राईटिंग की गयी है। प्रकरण में मूल रोजनामचा सान्हा प्रस्तृत नहीं किया गया है। किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अपर्ने समक्ष अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती का समर्थन नहीं किया है। जप्तशूदा आयूध की नाप कैसे की गयी इसके संबंध में भी साक्षी ने कोई कथन नहीं किये हैं और न ही उसका स्पष्टीकरण साक्षी के कथनों से प्रकट हुआ है। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियोजन की कहानी संदेहास्पद हो जाती है जिससे निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि जप्तश्रदा आयुध वही है जो कि अभियुक्त से जप्त किया गया था और यह भी नहीं कहा जा सकता कि जप्तशूदा आयुधं अधिसूचना में वर्णित आकार प्रकार का तथा धारदार था।
- 9 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 01.03.2013 को समय 08:00 बजे या उसके लगभग रेलवे पटरी के पास आमला में लोक स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के लोहे की धारदार तलवार जिसकी लंबाई 2 फिट 3 इंच, चौड़ाई 1 इंच 5 सेमी. को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त प्रदीप को धारा 25(1—बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 10 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की तलवार अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

- 11 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 12 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)